केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00126
संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/25/00218
अपीलकर्ता श्री वेदप्रकाश शर्मा

| | |
|---|---|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि | 19.04.2025 |
| संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि | 01.05.2025 |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि | 26.05.2025 |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी | श्री ओ.पी.पोखरियाल,<br><br>CPIO (DR to AR) |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि | 04.06.2025 |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि | 10.06.2025 |
| निर्णय की तारीख | 01.07.2025 |

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 19.04.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : .

"1.) उस माध्यम का नाम संदर्भित संख्या और उस माध्यम की रशीद की प्रति उपलब्ध करायी जाये जिसके द्वारा द्वितीय अपील नं CIC/CANBK/A/2024/124358 एवं शिकायत सं CIC/CANBK/C/2024/124358 की दिनांक 13.02.2025 को माननीय आयोग द्वारा सुनवाई किये जाने की सूचनाएं केनरा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय मथुरा में पदस्थ जन सूचना अधिकारी को भेजी गयी।

2.) उस माध्यम का नाम संदर्भित संख्या और उस माध्यम की रशीद की प्रति उपलब्ध करायी जाये जिसके द्वारा उपरोक्त बिंदु सं 1 में वर्णित अपील व शिकायत के संबंध में माननीय सूचना आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 21.02.2025 (प्रति संग्लन ) की प्रति जनसूचना अधिकारी केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय मथुरा को भेजी गयी।

3.) उस माध्यम का नाम, संदर्भित संख्या और रशीद की प्रति उपलब्ध करायी जाये जिसके द्वारा उपरोक्त बिंदु सं 2 में वर्णित आदेश की प्रति प्रथम अपीलीय अधिकारी केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय मथुरा को भेजी गयी।

4.) इस आवेदन में वर्णित सूचना आयुक्त महोदया के आदेश 21.02.2025 के बिंदु सं 6 के क्रम में जनसूचना अधिकारी द्वारा कोई प्रस्तुतीकरण दिया गया है अथवा नहीं ? यदि दिया गया है तो आयोग में उसकी प्राप्ति के दिनांक की जानकारी दें।

5.) अपील सं CIC/CANBK/A/2024/124358 एवं शिकायत सं CIC/CANBNK/C/2024/113350 की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाये।

6.) शिकायत सं CIC/CANBNK/C/2024/116681 एवं CIC/CANBK/A/2024/127473 द्वितीय अपील सं CIC/CANBK/A/2024/127473 की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाये।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री ओ.पी.पोखरियाल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 26.05.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

Point No.1,2 &3.) – The requisite information sought by you is available in CIC's website cic.gov.in. and may be accessed by clicking the following link https://dsscic.nic.in/appeal-comp-status-dak-file/list-dak-file

Point No.4) – A Letter for Non – Compliance of Commission's Order has been sent to CPIO to provide the complete information with enclosures, as per directions of the Commission.

Point No. 5 & 6) – The appeal & complaint has already disposed of and copy of decision has already been sent to your registered address through speed post and uploaded on Commission website, and you can find it at https://dsscic.nic.in/cause-list-report-web/view-decision/1 In addition to this letter for Non – Compliance of Commission's Order has been sent to CPIO to provide the complete information.(copy sent to your registered address)

3. प्रथम अपील का आधार

सूचना आवेदन पंजीकरण सं CICOM/R/P/25/00218 के संबंध में जन सूचना अधिकारी द्वारा गया जवाब संतोषजनक नहीं है। सूचना आवेदन के बिंदु सं 4 में आयोग के आदेश के क्रम में जन सूचना अधिकारी द्वारा आयोग को दी जाने वाली जानकारियाँ मांगी गयी है जबकि जन सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाबी पत्र में आयोग द्वारा जन सूचना अधिकारी को दिए गए आदेश की जानकारी दी गयी है।

जन सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाबी पत्रों में वांछित प्रश्नो की प्रविष्टि नहीं को उनके संबंधित आवेदनों से मिलान करने में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त किसी भी सूचना आवेदन के आयोग में प्राप्त होने पर उसकी पंजीकरण संख्या की जानकारी भी नहीं दी जाती है कृपया इस व्यवस्था को सही कराया जाये और सूचना

आवेदन के बिंदु सं 4 के क्रम में जन सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए जवाब के संबंध में जानकारी दे। कृपया अपील का उचित निस्तारण करें।

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/25/00218 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार नहीं है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC AR) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/25/00218 के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को बिंदु सं 1, 2 और 3 की सूचना पुनः स्पष्ट प्रेषित की जाये।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक - 02.07.2025 .

C. I. C. /के० सू० आ०
RECEIVED
02 JUL 2025
D. No. ........
Initials........

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) DR to IC AR केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

O/C